कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित देशों को आगे आना होगा

सुमित प्रसाद
प्रोग्राम लीड, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू)

उशशि दत्ता
प्रोग्राम लीड, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू)

कॉप 28, हानि व क्षति कोष के संचालन पर ऐतिहासिक सहमति के साथ शुरू हुआ और पहले ग्लोबल स्टॉकटेक (पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति की समीक्षा) पर एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ समाप्त हो गया. भारत ने नेतृत्व दिखाते हुए 'ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव' और 'लीड आइटी 2.0' की शुरुआत की और 2028 में कॉप की मेजबानी का प्रस्ताव रखा. ग्लोबल स्टॉकटेक की चर्चाओं में जोर दिया गया कि विकसित देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) को 1.5 डिग्री के लक्ष्य के अनुरूप बनाने, 2020 से पहले की प्रतिबद्धता में अंतर को दूर करने और अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के अनुरूप उत्सर्जन घटाने की जरूरत है. भारत ने समता की अपील की और जोर दिया कि विकसित देशों ने असंगत रूप से कार्बन बजट का इस्तेमाल किया है और उन्हें 2025 तक वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि को शून्य करना चाहिए, ताकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त कार्बन स्पेस बच सके. लेकिन कॉप 28 के परिणामों में विकसित देशों के लिए कोई ठोस निर्देश सामने नहीं आ पाया. यहां तक कि हानि व क्षति कोष में भुगतान करने के लिए विकसित देशों को कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया गया है.

व्यापक उद्देश्यों को पाने के लिए 2020-पूर्व की प्रतिबद्धताओं का लागू होना जरूरी है. उस व्यवस्था में दो जलवायु समझौते- क्योटो प्रोटोकॉल और दोहा संशोधन- शामिल हैं, जिनमें विकसित देशों की उत्सर्जन कटौती की प्रतिबद्धताएं हैं. लेकिन 2020-पूर्व की व्यवस्था में विकसित देशों की गैर-भागीदारी, लेखांकन में खामियां और प्रतिबद्धताओं का लचर क्रियान्वयन और कमजोर लक्ष्य जैसी कई कमियां थीं, जिन्हें नजरअंदाज

नहीं किया जा सकता. भले ही कॉप 28 का अंतिम पाठ 2020-पूर्व की व्यवस्था को एक 'चिंता' के रूप में रेखांकित करता हो, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं आया कि कैसे निष्क्रियता के लिए विकसित देशों की जवाबदेही तय की जा सकती है. एनडीसी स्व-निर्धारित है, फिर भी विकसित देश अपने 2030 जलवायु लक्ष्यों को पाने के रास्ते पर नहीं हैं. सीईईडब्ल्यू के अध्ययन के अनुसार, विकसित देश 2030 में अपने एनडीसी के वादे से 3.7 बिलियन टन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे.

वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 2019 के स्तर से 43 प्रतिशत तक कमी आनी चाहिए, लेकिन सीईईडब्ल्यू के अध्ययन अनुसार, विकसित देशों की एनडीसी 2030 तक उत्सर्जन में सिर्फ 36 प्रतिशत कटौती का प्रतिनिधित्व करती है. कॉप 28 ने उत्सर्जन में 2030 तक 43 प्रतिशत, 2035 तक 60 प्रतिशत कटौती और 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने की जरूरत को चिह्नित किया है. यह विकसित देशों से इस वैश्विक औसत से आगे जाने का भी आग्रह कर सकता था.

विकसित देश कुल कार्बन बजट के 80 प्रतिशत हिस्से के उपभोग के लिए जिम्मेदार हैं. भले ही कॉप 28 में इस चिंता का उल्लेख है, लेकिन शेष कार्बन बजट के आवंटन की चुनौतियां बरकरार हैं. यदि विकसित देश 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त भी कर लें, तब भी वे शेष कार्बन बजट का 40-50 प्रतिशत उपभोग कर डालेंगे. इससे भारत और अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए उपलब्ध कार्बन बजट पर सीधा असर होगा. कॉप 28 में कमजोर नतीजों का अर्थ है कि जलवायु शमन का सारा बोझ विकासशील देशों के कंधों पर आ जायेगा. इसे पूरा होना मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास इसके लिए जरूरी वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी की कमी है और जिसे वादे या आवश्यकता के अनुरूप नहीं उपलब्ध कराया गया है.